न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

अपील मुकदमा नम्बर :– 67/2021 (जी सी एम एस नम्बर 2021/161)

उनवानी प्रकरण :–

1–श्रीमती बालारानी पुत्री स्व0 बिरसू

2–श्रीमती महेशो देवी पुत्री स्व0 बिरसू (**दौराने अपील फौत**)

2/1–स्वीटी सिंह पुत्री स्व0 श्रीमती महेशो देवी जाति बेडिया निवासी ग्राम बरा (मालौनी खुर्द) तहसील सैपऊ जिला धौलपुर हाल निवासी बाल भवन के सामने लक्ष्मी नगर शंकरपुर बरामद पूर्वी दिल्ली

2/2–सचिन कुमार पुत्र स्व0 श्रीमती महेशो देवी जाति बेडिया निवासी ग्राम बरा (मालौनी खुर्द) तहसील सैपऊ जिला धौलपुर हाल निवासी हरिजन वस्ती ज्योति नगर दिल्ली

.....अपीलान्टस

बनाम

1–राजस्थान राज्य तामील जरिये तहसीलदार सैपऊ

2–जगन्नाथ प्रसाद पुत्र स्व0 श्री भगोला (दौराने अपील फौत)

2/1–बीजना पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ प्रसाद । जातिगण गुर्जर

2/2–सपना पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ प्रसाद । निवासी हाल लाल कोठी के पास

2/3–भूरी पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ प्रसाद । काली माई मंदिर शिवाजी मंदिर

2/4–आशीष पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ प्रसाद । के पास धौलपुर

2/5–बिजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ प्रसाद ।

3–नत्थीलाल पुत्र स्व0 श्री भगोला । जातिगण गुर्जर

4–हाकिम पुत्र श्री केदार सिंह । निवासी ग्राम पटी जसूपुरा

5–भागीरथ पुत्र श्री केदार सिंह । तहसील व जिला धौलपुर .....रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 727 दिनांक 04.06.1989 वाके ग्राम मालौनी खुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

उपस्थिति अभिभाषक :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री अशोक दिवकर एडवोकेट

रेस्पो0सं0 1 की ओर से :– पैरोकार सरकार

रेस्पो0सं0 3लगा05 की ओर से :– श्री भगवतीप्रसाद झां एडवोकेट

निर्णय दिनांक : 12.03.2025

उक्त अपील अपीलान्टस द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि अपीलान्टस के पिता स्व0 बिस्सू पुत्र सूखी जाति बेडिया निवासी ग्राम बरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर को आराजी खसरा नम्बर 1667 रकवा 01 बीघा 15 विस्वा, 1778 रकवा 02

जिला कलक्टर
धौलपुर

बीघा 01 बिस्वा, 1787 रकबा 13 बिस्वा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 04.06.1989 को आवंटित की गयी थी और उसी समय तहसीलदार सैपऊ द्वारा दिनांक 04.06.1989 को कब्जा व दखल अपीलान्टस के पिता स्व0 बिरसू पुत्र सूखी का करा दिया और तभी से अपीलान्टस के पिता उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते रहे और उनके निधन के बाद उनकी पुत्रिया काबिज होकर काश्त करती आ रही है किन्तु जब नये राजस्व ग्राम बने तब खसरा नम्बर 1778 व 1787 को नये राजस्व ग्राम भागना तहसील सैपऊ मे मिला दिया जो कि वर्तमान मे राजस्व ग्राम भागना मे स्थित है किन्तु रेस्पो0संख्या 2लगा03 के पिता स्व0 भगोला व रेस्पो0स0 4 ने तहसीलदार सैपऊ से सांठ गांठ करके सहायक जिलाधीश धौलपुर द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1787 रकबा 13 बिस्वा दिनांक 04.06.1989 को ही गलत व फर्जी तरीके से पूर्व आवंटन का अंकन कराकर अपने नाम का गैरखातेदारी का आदेश जरिये नामान्तरकण संख्या 727 दिनांक 04.06.1989 को राजस्व कैम्प मालौनीखुर्द में स्वीकार कर लिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि जब अपीलार्थी के पिता स्व.बिरसू पुत्र सूखी जाति बंडिया निवासी ग्राम बरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में अपने आदेश दिनांक 04.06.1989 को वमुकाम राजस्व कैम्प मालौनी खुर्द में आराजी खसरा नं0 1667 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 1778 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 1787 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी सोयम को आवंटित किया और उसी दिवस तहसीलदार सैपऊ द्वारा कब्जा व दखल अपीलार्थीगण के पिता का करा दिया। किन्तु फिर भी उसी दिवस सहायक जिलाधीश धौलपुर को यह समयक जानकारी होने के बाबजूद भी कि आराजी खसरा नं0 1667 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 1778 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 1787 रकबा 13 बिस्वा को अपीलार्थीगण के पिता बिरसू को आवंटित किया गया है के बाबजूद भी रैस्पोडेंट सं.2 लगायत 3 के पिता स्व. भगोला व रैस्पोडेंट सं. 4 के पक्ष में एक गलत व फर्जी तरीके से पूर्व आवंटन का अंकन करते हुये गैर खातेदारी का नामांतकरण सं. 727 तारीखी 04.06.1989 को तस्दीक कर कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है जो कि काबिल खारिजी के है। रैस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपीलार्थीगण के पिता बिरसू के नाम आवंटन आदेश दिनांक 04.06.1989 की सम्यक जानकारी होने के बाद एवं स्वंय द्वारा कब्जा व दखल देने के बाबजूद भी रैस्पोडेन्ट सं.2 लगायत 3 के पिता स्व. भगोला व रैस्पोडेन्ट सं. 4 के नाम राजस्व कैम्प मालौनीखुर्द में दिनांक 04.06.1989 को कोई आवंटन का आदेश न होने के बाबजूद भी नामांतकरण सं. 727 से स्व. भगोला व हाकिम पुत्र हुकुम सिंह के नाम गैर खातेदारी का आदेश पारित कर कानूनन विधि विरूद्ध व विधि के स्वरस्थापित सिद्वातों के विपरीत कार्यवाही कर उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया है जो कि काबिल निरस्ती है। अपीलार्थीगण के पिता बिरसू के नाम आवंटित खसरा नम्बर 1787 रकबा 13 बिस्वा को आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 04.06.1989 को निरस्त किये बिना गलत व फर्जी तरीके से रैस्पोडेंट सं. 1 ने रैस्पोडेंट सं. 2 लगायत 3 के पिता स्व. भगोला व रैस्पोडेंट सं. 4 के नाम उक्त आराजी खसरा नम्बर 1787 रकबा 13 बिस्वा का फर्जी आदेश कर उक्त नामांतकरण सं. 727 भरकर तस्दीक किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिजी है। यदि वास्तव में

रेस्पोडेंट सं. 2 लगायत 3 के पिता स्व. भगोला व रैस्पोडेंट सं. 4 के नाम आराजी खसरा नम्बर 1787 रकवा 13 बिस्वा का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा राजस्व कैम्प मालौनीखुर्द में उपजिलाधीश द्वार यदि कोई आदेश किया गया होता तो निश्चित ही स्व. भगोला व हाकिम के नाम अंकन आवंटन सलाहकार समिति के आदेश की सूची में उनका नाम अंकित होता किन्तु आवंटन सलाहकार समिति की सूची में उनका नाम अंकित नही होने के बावजूद भी उनके पक्ष में नामांतकरण सं. 727 तस्दीक किया है जो कि Illigal Improper Parvars होने से काबिल निरस्ती है जिसे निरस्त किया जावे। आराजी खसरा नम्बर 1787 रकवा 13 बिस्वा को अपीलार्थी के पिता स्व. बिस्सू के नाम आवंटित कर कब्जा व दखल देने के बाद स्व. बिस्सू का नाम आवंटन आदेश की सूची के क्रमांक 20 पर अंकित कर अनुसूचित जाति के नाम दर्ज कर दिया चूंकि जब आराजी खसरा नम्बर 1787 रकवा 13 बिस्वा को अनुसूचित जाति के नाम दर्ज कर कब्जा व दखल दे दिया तो उक्त खसरा नम्बर को किसी सामान्य जाति के व्यक्ति के नाम किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं किया जा सकता। यदि फिर भी किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को सामान्य जाति के व्यक्ति के नाम अंकन या अंतरित किया जाता है तो उक्त अंकन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी के प्रावधानो के विपरीत होने से पूर्व से ही शून्य अंकन है जो कि काबिल निरस्ती के है और इस आधार पर भी स्व. भगोला व हाकिम के नाम किया गया नामान्तकरण सं. 727 काबिल निरस्ती के है। रैस्पोडेंट सं.1 ने अपीलार्थीगण के पिता स्व. बिस्सू को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना एवं उसकी बैक पर गलत रूप से फर्जकारी करते हुये उक्त नामांतकरण सं. 727 के बावत समस्त कार्यवाही की है जो कि काबिल निरस्ती के है। अपील प्रस्तुत करने में अपालार्थी जान बूझकर कोई देरी नहीं की है इसलिये न्यायहित में अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाना आवश्यक है। पृथक से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 727 दिनांक 04.06.1989 निरस्त किये जाने तथा अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक करने की अनुमति प्रदान किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस को तलब किया गया। रस्पो0 संख्या–2/1 लगा0 2/5 बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व दिनाक 4.4.2023 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो0संख्या 3 लगा05 की ओर से श्री भगवतीप्रसाद झां एडवोकेट उपस्थित हुये। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपील अपीलान्ट म्याद बाहर पेश की गई है। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी अपील प्रस्तुत करने से पूर्व अर्सा करीव एक माह पूर्व रेस्पोडेन्टस द्वारा अपीलान्टस को फसल बोने से रोकने और उसके इजहार करने पर हुई। अपीलार्थी ने जानवूझ कर अपील प्रस्तुत करने में कोई लापरवाही या उपेक्षा नहीं की है। अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी को क्षमा किया जावे। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना हम उचित समझते है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पर रेस्पाडेन्टस के पूर्वज का कभी कब्जा नहीं रहा। अपीलान्टस के पिता स्व0 विस्सू पुत्र सुखी के साथ-साथ करीब 31 व्यक्तियों को कमाण्ड क्षेत्र में स्थित आराजी का आवंटन किया जो कि पूर्णत सही व विधि अनुसार किया गया। रेस्पो0 ने अपने पूर्वज स्व0 भगोला के नाम आवंटन दिनांक 22.5.1986 को किया जाना कथित किया जो पूर्णतः गलत है क्योंकि जब भी कोई आवंटन किया जाता है तो वह किसी विशेष व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है तथाकथित आवंटन जाली फर्जी व कूटरचित है जिससे रेस्पोडेन्ट का कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जिस दिनांक 04.06.1989 को अपीलान्ट के पिता स्व0 विस्सू के नाम आवंटन किया गया उसी दिवस रेस्पो0 के पूर्वज स्व0 भगोला ने एक जाली फर्जी विधि विरूद्व नामान्तकरण संख्या 727 अपने पक्ष में तस्दीक कराया है उसी समय अपीलान्ट के पिता के नाम आवंटन किया गया है उसके बावत कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। रेस्पो0 के पूर्वज स्व0 भगोला ने तमाम कार्यवाही अपीलान्ट की भूमि अवैध रूप से हडपने के लिये की गहै है एवं भगोला ने बेचान किया है वह विधि विरूद्व है और विधि अनुसार किसी अनुसूचित जाति की कृषि भूमि का अन्तरण किसी सामान्य जाति के व्यक्ति के नाम अन्तरित नहीं किया जा सकता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42बी का उल्लधंन है। रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र लिखित बहस में काउन्टर क्लेम पेश किया है जो कि केवल मात्र सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम 6ए के तहत केवल मात्र वाद पत्र में ही किया जा सकता है किसी अपील में कोई काउन्टर क्लेम पेश करने का प्रावधान नहीं है इसलिये काउन्टर क्लेम रेस्पो0 पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के पिता स्व0 विस्सू पुत्र सूखी को आराजी खसरा नम्बर 1787 के साथ आराजी खसरा नम्बर 1667 व 1778 भी आवंटित किया गया था जिसमें अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 1778 व 1667 के बावत एक अपील संख्या 27/2016 उनवानी बालारानी बनाम सरकार वगैरा न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर धौलपुर के पेश की गई थी जिसे न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30.08.2018 को उक्त अपील अपीलार्थीगण को स्वीकार करते हुये नामान्तकरण संख्या 732 दिनांक 4.6.1989 ग्राम मालौनीखुर्द्व को निरस्त कर दिया और उक्त प्रकरण को तहसीलदार सैपऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अपीलान्ट के पक्ष में आवंटन आदेश के प्रभाव व अप्रार्थी संख्या 2 लगा09 के पूर्वज रजुआ के पक्ष में कोई नियमन आदेश हो तो बाद जांच उचित आदेश पुनः पारित करे जिसकी अपीलान्ट के पक्ष में पालना की जा चुकी है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1787 नवीन राजस्व ग्राम भागना तहसील सैपऊ रेस्पो0 संख्या 2/1 लगा0 2/5 के बाबा तथा रेस्पो0 संख्या-3 के पिता की आराजी में सामिल था तथा बन्दोवस्त पूर्व से कब्जा था तथा रेस्पो0 संख्या-4 भी उक्त आराजी में 1/2 के खातेदार थे जिसमें खसरा संख्या 1787 उक्त आराजी के बीच में स्थित था जिस पर रेस्पो0 के पूर्व पुरूष व रेस्पो0 संख्या-4 का कब्जा बन्दोवस्त से पूर्व का था जो खसरा बन्दोवस्ती के दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर

जिला कलक्टर
धौलपुर

1787 ग्राम मालौनीखुर्द पर पुराना कब्जा होने के कारण आवंटन कमेटी धौलपुर द्वारा दिनांक 22.5.1986 को विधि रूप से आवंटन किया गया तथा पटटा जारी किया गया जिसके आधार पर राजस्व कैम्प मालोनी खुर्द में नामान्तकरण संख्या 727 दिनांक 4.6.1989 को विधिवत रूप से खोला गया तथा गैरखातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। बाद में खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये गये। दिनांक 8.2.2013 को रेस्पो0 संख्या 2/1 लगा0 2/5 के पिता जगन्नाथ ने आराजी खसरा नम्बर 1787 रकवा 13 विस्वा में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा रेस्पो0 संख्या–5 को बेचान कर दिया। ऐसे रजिस्टर्ड वयनामा को निरस्त करने का अधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है उक्त अपील में रजिस्टर्ड वयनामा निरस्त नहीं किया जा सकता। अव रेस्पोडेन्ट संख्या–5 रेस्पो0 संख्या 3 व 4 के साथ संयुक्त रूप से उक्त खसरा नम्बर 1787 पर काबिज काश्त है तथा काश्त का लाभ प्राप्त कर रहे है तथा अपीलान्ट का कोई कब्जा किसी प्रकार का उक्त आराजी पर नहीं है। अतः अपील काबिले खारिजी है। अगर कोई आवंटन आराजी खसरा नम्बर 1787 का दिनांक 4.6.1989 को अपीलान्ट के पिता विस्सू के नाम किया गया है तो वह वमुकावले रेस्पोडेन्ट शून्य है निष्प्रभावी है। उक्त आराजी का प्रथम आवंटन, आवंटन कमेटी धौलपुर के द्वारा दिनांक 22.5.1986 को कब्जे के आधार पर रेस्पो0 संख्या 2/1 लगा0 2/5 के वावा तथा रेस्पो0 संख्या–3 के पिता भगोला तथा रेस्पो0 संख्या–4 के नाम विधिवत रूप से किया गया है तथा विधिवत से दिनांक 4.6.1989 को राजस्व कैम्प मालौनीखुर्द में नामान्तकरण संख्या 727 उक्त आराजी बावत खोला गया जिसमें रेस्पो0 के पूर्व पुरूष भगोला तथा रेस्पो0संख्या–4 को गैरखातेदारी अधिकार प्राप्त हुये तथा बाद में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे तथा आवांटन दिनांक 4.6.1989 जो अपीलान्ट के पिता विस्सू के नाम किया गया है निरस्त किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि अपीलान्टस के पिता स्व0 बिस्सू पुत्र सूखी जाति बेडिया को आराजी खसरा नम्बर 1667 रकवा 01 बीधा 15 विस्वा, 1778 रकवा 02 बीधा 01 विस्वा, 1787 रकवा 13 विस्वा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 04.06.1989 को आवंटित की गयी थी और उसी समय तहसीलदार सैपऊ द्वारा दिनांक 04.06.1989 को कब्जा व दखल अपीलान्टस के पिता स्व0 बिस्सू पुत्र सूखी का करा दिया और तभी से अपीलान्टस के पिता उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते रहे और उनके निधन के बाद उनकी पुत्रियां काबिज होकर काश्त करती आ रही है किन्तु जब नये राजस्व ग्राम बने तब खसरा नम्बर 1778 व 1787 को नये राजस्व ग्राम भागना तहसील सैपऊ में मिला दिया जो कि वर्तमान में राजस्व ग्राम भागना में स्थित है किन्तु रेस्पो0संख्या 2लगा03 के पिता स्व0 भगोला व रेस्पो0सं0 4 ने तहसीलदार सैपऊ से सांठ गांठ करके सहायक जिलाधीश धौलपुर द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1787 रकवा 13 विस्वा दिनांक 04.06.1989 को ही गलत व फर्जी तरीके से पूर्व आवंटन का अंकन कराकर अपने नाम का गैरखातेदारी का आदेश जरिये नामान्तरकण संख्या 727 दिनांक 04.06.1989 को राजस्व कैम्प मालौनीखुर्द में स्वीकार कर

जिला कलक्टर
धौलपुर

लिया जिसे निरस्त किया जावे। इस सम्बध में पत्रावली पर उपलब्ध रेस्पो0 की ओर से जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है उसमें भूमि आवंटन आवेदन पत्र, पटवारी हल्का की रिपोर्ट, आवंटन कमेटी की सिफारिस तथा आवंटित भूमि का पटटा का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि आराजी खसरा नम्बर 1787 रकवा 13 विस्वा वांके गाम मालौनीखुर्द तहसील सैपऊ का आवंटन दिनांक 22.5.1986 को रेस्पो0 संख्या 2/1 लगा0 2/5 के वावा तथा रेस्पो0 संख्या–3 के पिता भगोला तथा रेस्पो0 संख्या–4 हाकिम के नाम आवंटन कमेटी उप जिलाधीश धौलपुर द्वारा किया गया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में आवंटीयों का मौके पर कब्जा होना अंकित किया है। अपीलान्ट ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे उनका मौके पर कब्जा हो। उक्त आराजी का प्रथम आवंटन, आवंटन कमेटी उपजिलाधीश धौलपुर के द्वारा दिनांक 22.5.1986 को कब्जे के आधार पर रेस्पो0 संख्या 2/1 लगा0 2/5 के वावा तथा रेस्पो0 संख्या–3 के पिता भगोला तथा रेस्पो0 संख्या–4 हाकिम के नाम विधिवत रूप से किया गया है तथा दिनांक 4.6.1989 को राजस्व कैम्प मालौनीखुर्द में नामान्तकरण संख्या 727 उक्त आराजी बावत खोला गया जिसमें रेस्पो0 के पूर्व पुरूष भगोला तथा रेस्पो0संख्या–4 हाकिम को गैरखातेदारी अधिकार प्राप्त हुये तथा बाद में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। दिनांक 8.2.2013 को रेस्पो0 संख्या 2/1 लगा0 2/5 के पिता जगन्नाथ ने आराजी खसरा नम्बर 1787 रकवा 13 विस्वा में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा रेस्पो0 संख्या–5 को बेचान कर दिया है ऐसे रजिस्टर्ड वयनामा को निरस्त करने का अधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है उक्त अपील में रजिस्टर्ड वयनामा निरस्त नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र लिखित बहस में काउन्टर क्लेम पेश किया है जो कि केवल मात्र सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम 6ए के तहत केवल मात्र वाद पत्र में ही किया जा सकता है किसी अपील में कोई काउन्टर क्लेम पेश करने का प्रावधान नहीं है इसलिये काउन्टर क्लेम रेस्पो0 पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अगर कोई आवंटन आराजी खसरा नम्बर 1787 का दिनांक 4.6.1989 को अपीलान्ट के पिता विस्सू के नाम किया गया है तो वह वमुकावले रेस्पोडेन्ट शून्य एवं निष्प्रभावी है। उपरोक्त विवेचन के आधार अपीलान्ट की आपील खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट खारिज की जाती है। नामान्तकरण संख्या 727 दिनांक 04.06.1989 वांके ग्राम मालौनीखुर्द तहसील सैपऊ यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर